

## अध्याय 2

### राज्य का वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह 2016-17 से 2020-21 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र रूझानों, राज्य की ऋण स्थिरता और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर मुख्य लोक लेखा लेन-देनों पर चर्चा करता है। जहाँ आवश्यकता थी, राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त की गई।

#### 2.1 वर्ष 2019-20 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन

**तालिका 2.1** विगत वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है इन प्रत्येक संकेतकों को उत्तरोत्तर कंडिकाओं में विश्लेषित किया गया है।

##### तालिका 2.1: 2019-20 की तुलना में 2020-21 में राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 3.88 प्रतिशत की कमी हुई।</li><li>✓ राज्य की स्वयं के कर प्राप्तियों में 0.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li><li>✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों में 13.55 प्रतिशत की कमी हुई।</li><li>✓ संधीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में 4.28 प्रतिशत की कमी हुई।</li><li>✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2.52 प्रतिशत की कमी हुई।</li></ul>
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ राजस्व व्यय में 5.00 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।</li><li>✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।</li><li>✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.85 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।</li><li>✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 1.72 प्रतिशत तक कमी हुई।</li></ul>
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ पूँजीगत व्यय में 14.30 प्रतिशत की कमी हुई।</li><li>✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 37.78 प्रतिशत की कमी हुई।</li><li>✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 4.24 प्रतिशत की वृद्धि आई है।</li><li>✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 13.96 प्रतिशत की कमी आई है।</li></ul>
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 1,943.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li><li>✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 0.83 प्रतिशत की कमी हुई।</li></ul>
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 41.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li><li>✓ लोक ऋण की पुर्नभुगतान में 35.13 प्रतिशत की कमी हुई।</li></ul>
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 14.23 प्रतिशत की कमी हुई।</li><li>✓ लोक लेखा के संवितरण में 13.46 प्रतिशत की कमी हुई।</li></ul>
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान नकद शेष राशि में ₹ 256.84 करोड़ (7.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।</li></ul>

#### 2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

**तालिका 2.2** वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के स्रोतों एवं अनुप्रयोग की तुलना करता है। अधिक विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दी गई हैं।


##### तालिका 2.2: 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण (₹ करोड़ में)

	ब्यौरा	2019-20	2020-21	वृद्धि (+) / कमी (-)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में प्रारंभिक नकद शेष	188.30	-54.14	-242.44
	राजस्व प्राप्तियाँ	58,417.14	56,149.73	-2,267.41
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	49.19	48.78	-0.41

	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	5,361.72	10,801.75	5,440.03
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	2,430.28	4,323.44	1,893.16
	<b>कुल</b>	<b>66,446.63</b>	<b>71,269.56</b>	<b>4,822.93</b>
<b>अनुप्रयोग</b>	राजस्व व्यय	56,456.63	59,263.58	2,806.95
	पूँजीगत व्यय	9,878.71	8,465.66	-1,413.05
	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	165.43	3,379.77	3,214.34
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम नकद शेष	-54.14	160.55	214.69
	<b>कुल</b>	<b>66,446.63</b>	<b>71,269.56</b>	<b>4,822.93</b>

**चार्ट 2.1** वर्ष 2020-21 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता का विवरण प्रस्तुत करता है।

**चार्ट 2.1: 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण**



### 2.3 राज्य के संसाधन

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूँजी एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे, लोक लेखा (संवितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों का भी सरकार द्वारा घाटों को वित्त प्रदान करने हेतु इस्तेमाल किया गया।

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दी गई है:

- राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।
- पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियां दोनों ही राज्य के समेकित निधि का हिस्सा है


- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ** : कुछ विशेष लेन-देन यथा छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ एवं भुगतान होते हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं रखा जाता है। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

### 2.3.1 राज्य की प्राप्ति

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्ति के घटक को दर्शाता है। पूंजी एवं राजस्व प्राप्ति के अलावे, लोक लेखा (संवितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों का भी सरकार द्वारा घाटों को वित्त प्रदान करने हेतु इस्तेमाल किया गया। 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्ति के घटक **चार्ट 2.2** में दिये गए हैं।

**चार्ट 2.2: 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक**



**2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ**

यह कंडिका कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों में रूझान देता है। इसके बाद, प्राप्तियों में रूझान को केंद्र सरकार से प्राप्ति और राज्य की अपनी प्राप्तियों में विभाजित किया गया है। जहाँ आवश्यक हो, उप-कंडिका शामिल किए गए हैं।

**2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि**

**तालिका 2.3** पाँच वर्ष की अवधि में स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्पावकता को दर्शाती है। आगे, स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों के संयोजन परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

**तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ**

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	47,054	52,756	56,152	58,417	56,150
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.79	12.12	6.44	4.03	-3.88
स्वयं का कर राजस्व	13,299	12,353	14,752	16,771	16,880
कर-भिन्न राजस्व	5,351	7,847	8,258	8,750	7,564
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं के कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	7.60	8.30	13.90	10.90	-4.20
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 क्रम में)	2,36,250	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079
स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.34	14.21	13.30	5.06	-1.27
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	19.92	19.55	18.37	18.19	17.71
<b>उत्प्लावकता अनुपात<sup>1</sup></b>					

<sup>1</sup> उत्पावकता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में हुए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तन की जवाबदेही के लचीलापन या डिग्री को बतलाता है।

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	1.10	0.85	0.48	0.80	*
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता	0.53	0.58	1.05	2.15	*


स.रा.घ.उ. आँकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, पी.ई.- अनंतिम अनुमान क्यू.ई.- त्वरित अनुमान

\* चूँकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि नकारात्मक थी, अतः उत्प्लावकता संगणित नहीं किया गया।


राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि 2016-17 में 15.79 प्रतिशत से लगातार घटकर 2020-21 में (-) 3.88 प्रतिशत हो गई। 2020-21 के दौरान, राज्य के अपने संसाधनों या केंद्र सरकार से प्राप्तियों के रूप में सभी स्रोतों से प्राप्तियों में कमी के कारण राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) में उल्लेखनीय कमी देखी गई। इसके अलावा, रा.प्रा. की वृद्धि में कमी के बावजूद, राजस्व का संग्रह हमेशा पिछले वर्ष की तुलना में निरपेक्ष रूप से अधिक था, सिवाय 2020-21 के दौरान जब वास्तविक संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में कम था।

2016-20 अवधि के दौरान जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता में 0.48 और 1.10 बीच प्रमुखता से दोलित रहा। इसी प्रकार, 2016-20 के दौरान स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता के मामले में 0.53 और 2.15 के बीच दोलित रहा। हालाँकि, 2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ, स्वयं कर राजस्व और राज्य की जी.एस.डी.पी. का वृद्धि दर ऋणात्मक था। अतः उत्प्लावकता की गणना नहीं की गई।

**चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ**



**चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के संयोजकों की प्रवृत्तियाँ**



आगे, जैसा कि तालिका 2.3 और चार्ट 2.3 एवं 2.4 में दर्शाया गया है, 2020-21 के दौरान राज्य के अपने राजस्व में पिछले वर्ष (10.90 प्रतिशत की वृद्धि) की तुलना में 4.20 प्रतिशत की कमी आई है। स्वयं कर राजस्व में कमी मुख्य रूप से एस.जी.एस.टी. ₹ 487 करोड़ और राज्य उत्पाद शुल्क ₹ 188 करोड़ कम संग्रह के कारण थी जबकि गैर-कर राजस्व में कमी मुख्य रूप से अलौह खनन (₹ 449 करोड़), शहरी विकास (₹ 449 करोड़), ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 228 करोड़) और वृहत् सिंचाई (₹ 392 करोड़) से कमी के कारण थी।

भारत सरकार से प्राप्त राजस्व (सी.टी.टी. और जी.आई.ए.) में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान 3.62 प्रतिशत की कमी आई। चालू वर्ष के दौरान सी.टी.टी. और जी.आई.ए. दोनों में उल्लेखनीय रूप से (क्रमशः ₹ 881 करोड़ और ₹ 310 करोड़ से) कमी आई, जिसका मुख्य कारण निगम कर (₹ 1,077 करोड़) का कम हस्तांतरण, केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए जी.आई.ए. का ₹ 500 करोड़ और वित्त आयोग का अनुदान ₹ 164 करोड़ का कम हस्तांतरण था।


### 2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग के अनुशंसा द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण एवं योजनाओं हेतु पूर्व अनुमानित केन्द्रीय सहायता की मात्रा से किया जाता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से स्वयं के राजस्व के संदर्भ में किया गया है।

#### अ. स्वयं-कर राजस्व

राज्य के स्वयं कर राजस्व में राज्य जी.एस.टी., राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, अल्कोहल एवं पेट्रोलियम पर वाणिज्य कर, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर आदि शामिल है। चार्ट 2.5 वर्ष 2016-21 अवधि के दौरान राज्य के कर राजस्व की वृद्धि को दर्शाता है

**चार्ट 2.5: वर्ष 2016-21 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि**



तालिका 2.4: राज्य के स्वयं के राजस्व का घटक

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्कलाइन
बिक्री कर	10,549	5,715	3,475	3,996	4,301	
एस.जी.एस.टी.	0	4,124	8,201	8,418	7,931	
राज्य उत्पाद	962	841	1,083	2,009	1,821	
वाहनों पर कर	682	779	864	1,129	976	
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	607	469	451	560	708	
भू राजस्व	240	156	389	338	873	
अन्य	259	270	289	321	270	
<b>कुल</b>	<b>13,299</b>	<b>12,354</b>	<b>14,752</b>	<b>16,771</b>	<b>16,880</b>	

स्रोत: वित्त लेखे

2016-21 के दौरान स्वयं-कर राजस्व के वृद्धि दर ने (-) 7.10 से 19.40 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव को दिखाया। जी.एस.टी. की शुरूआत के कारण 2017-18 में स्वयं कर की वृद्धि (-) 7.10 प्रतिशत घट गई। इसके अलावा, यह मुद्रांक और निबंधन शुल्क तथा भू-राजस्व को छोड़कर सभी करों के कम संग्रह के कारण उल्लेखनीय रूप से 2019-20 में 13.7 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 0.7 प्रतिशत हो गया। 2020-21 के दौरान भू-राजस्व संग्रह वर्ष 2019-20 के दौरान इसके संग्रहण का लगभग दो गुना था। 2020-21 के दौरान मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के संग्रह में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई।

### राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के कारण राजस्व में कमी को राज्यों को आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए आगामी पाँच वर्ष की अवधि तक मुआवजा दिया जाना है। केन्द्र वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) वसूलती है तथा उस राज्य को कर का राज्यांश प्रदान करती है, जिस राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

राज्य के देय मुआवजे की गणना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के बाद, अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत अधिरोपित कर के राजस्व आँकड़े हेतु आधार वर्ष (2015-16) को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया।

झारखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ` 6,410.51 करोड़ था। एक राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना, उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत) के आधार पर की जाती है।

आधार वर्ष के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित राजस्व ` 12,342.89 करोड़ था। 2020-21 के दौरान जी.एस.टी. के अंतर्गत लगाए गए करों के संबंध में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ` 7,931 करोड़ थी। भारत सरकार ने राज्य के राजस्व संग्रहण को सुरक्षित करने हेतु वर्ष के लिए मुआवजा के रूप में ` 1,099.14 करोड़ दिया। हालांकि, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 (` 859.18 करोड़) के अवधि से संबंधित मुआवजा राशि वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त हुई। इसी प्रकार, जून 2021 (` 337.04 करोड़) और सितम्बर 2021 (` 341.87 करोड़) में 2020-21 से संबंधित ` 678.91 करोड़ राशि प्राप्त हुई।

अतः वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित राजस्व ` 12,342.89 करोड़ के विरुद्ध ` 2,633.84 करोड़ की कम प्राप्ति के साथ एस.जी.एस.टी. संग्रहण एवं मुआवजा की राशि ` 9,709.05 करोड़ की प्राप्ति हुई।

### **आई.जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन एवं जी.एस.टी. मुआवजा के विरुद्ध इसका समायोजन**

भारत सरकार को आई.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 17 के अंतर्गत आई.जी.एस.टी. राज्य सरकार में विभाजित करना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ` 608.26 करोड़ की राशि की अनंतिम/अग्रिम निपटान इस शर्त पर स्वीकृत किया कि इस राशि का समायोजन आई.जी.एस.टी. का भविष्य में भुगतान से कर ली जाएगी। 2020-21 के दौरान आई.जी.एस.टी. की अग्रिम विभाजन में पिछले वर्ष के मुकाबले (` 69.12 करोड़) उल्लेखनीय रूप से 1,214 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### **जी.एस.टी. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा**

जी.एस.टी.एन. परिसर पर सम्पूर्ण भारत के आंकड़ों तक पहुँच प्रदान करने हेतु 22 जून 2020 में भारत सरकार का निर्णय संप्रेषित की गई। आँकड़ों तक अपेक्षित पहुँच जनवरी 2021 में प्रदान की गई। इसलिए वर्ष 2020-21 के लेखों को जी.एस.टी.एन प्रणाली के बैकड्रॉ के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों की पहुँच के आधार पर प्रमाणित किया गया है।

### **बकाया राजस्व एवं बकाया मूल्यांकन का विश्लेषण**

बकाया राजस्व सरकार को राजस्व के विलंब से प्राप्ति को इंगित करता है। उसी प्रकार बकाया मूल्यांकन संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब मूल्यांकन के कारण अवरूद्ध होती है। दोनो संभावित राजस्व प्राप्तियों से राज्य को वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2021 तक, राजस्व संग्रहण में बकाया ` 662.09 करोड़ था (उत्पाद और मद्यनिषेध विभाग तथा मोटर वाहन कर विभाग) जिनमें से ` 30.56 करोड़ पाँच साल से अधिक समय से बकाया था। इन विभागों में कुल बकाया राशि में से, ` 7.65 करोड़ की राशि उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग से संबंधित थी, जो न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा अवरूद्ध की गयी थी। अन्य विभागों की विवरणियाँ अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध नहीं थीं।

### **ब कर-भिन्न राजस्व**



कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा मुनाफा, खनन प्राप्तियाँ, विभाग की प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होती हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान ` 7,564 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व संग्रहित हुआ। कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण इस वर्ष हेतु ` 11,820 करोड़ के बजट आकलन से उल्लेखनीय रूप से कम था। वर्ष 2016-21 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व का घटकवार विवरण **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.5: वर्ष 2016-21 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व**

(` करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पाकेलाइन
ब्याज प्राप्तियाँ	121	169	47	310	81	
लाभांश एवं लाभ	0	0	0	0	15	
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	5,230	7,678	8,211	8,440	7,468	
(क) अलौह खनन तथा धातु कर्म	4,094	5,941	5,935	5,461	5,012	
(ख) शिक्षा	21	20	590	469	166	
(ग) शहरी विकास	144	122	265	529	80	
(घ) वृहत् सिंचाई	20	131	321	424	32	
(ङ) जन आपूर्ति	4	5	6	420	137	
(च) अन्य	947	1,459	1,094	1,137	2,041	
<b>कुल</b>	<b>5,351</b>	<b>7,847</b>	<b>8,258</b>	<b>8,750</b>	<b>7,564</b>	

वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा 11.37 प्रतिशत और 14.98 प्रतिशत के बीच था। हालाँकि, यह 2019-20 में 14.98 प्रतिशत से 2020-21 में 13.47 प्रतिशत तक की कमी हुई। कर-भिन्न राजस्व का मुख्य स्रोत अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग से प्राप्तियाँ थीं। हालाँकि, खनिज रियायत शुल्क किराया और रॉयल्टी के कम संग्रहण के कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग के अधीन संग्रहण में ` 449 करोड़ की कमी आई। इसी प्रकार, 2020-21 के दौरान शहरी विकास (` 449 करोड़), वृहत् सिंचाई (` 392 करोड़), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (` 303 करोड़), जन आपूर्ति (` 283 करोड़) और ब्याज प्राप्तियाँ (` 229 करोड़) के तहत संग्रहण में 2020-21 के दौरान उल्लेखनीय कमी भी देखा गया था। इसकी भरपाई फसल कृषि कर्म (` 396 करोड़), वानिकी एवं वन्य जीव (` 310 करोड़) और चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य (` 262 करोड़) के तहत अधिक संग्रह द्वारा की गई थी। 2020-21 के दौरान नकद शेष निवेश पर कम ब्याज के कारण ब्याज प्राप्तियों में काफी कमी आई है। ब्याज की औसत दर जिस पर सरकार ने उधार लिया था, वह 6.13 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, जबकि इसके नकद शेष पर प्राप्त ब्याज दर लगभग पाँच प्रतिशत प्रति वर्ष थी।


### **लघु शीर्ष-913 के अंतर्गत अनियमित जमा राशि**

वर्ष 2020-21 के दौरान, लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदान की बिना खर्च की गई शेष राशि की वसूली से राज्य सरकार द्वारा ` 1,207.02 करोड़ की राशि (सहायता अनुदान की अप्रयुक्त राशि एवं योजना निधि की अप्रयुक्त राशि) जमा की गई। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं से संबंधित जमा की गई राशि का विभाजन उपलब्ध नहीं था। जमा राशि वास्तविक राजस्व नहीं होने के कारण राजस्व प्राप्तियों में शामिल की जाती है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों का अत्योक्ति और राज्य सरकार के राजस्व व्यय को उस सीमा तक न्यूनोक्ति दिखाया जाता है।

### स केन्द्र से अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण और सहायता अनुदान के रूप में राज्य को केन्द्रीय अंतरण, वर्ष 2013-14 को छोड़कर, जब यह इस निशान से ठीक नीचे था, वर्ष 2011-21 के दौरान राज्य की कुल गैर-ऋण राजस्व के 50 प्रतिशत से अधिक था। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न स्वयं के राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राजस्व मुआवजे की प्राप्ति के फलस्वरूप गैर-ऋण प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय हस्तांतरण का अनुपात 2017-18 के दौरान उच्चतम (62 प्रतिशत) था। 2020-21 के दौरान यह अनुपात 56 प्रतिशत था।

चार्ट 2.6: राज्य को केन्द्र से अंतरण



राज्य को केन्द्र द्वारा करों का हस्तांतरण वर्ष 2011-12 के ` 7,170 करोड़ से निरंतर रूप से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ` 23,906 करोड़ हो गई। हालांकि पूर्व वर्ष के सापेक्ष यह वर्ष 2019-20 में घटकर ` 20,593 करोड़ (` 3,313 करोड़ की कमी) और 2020-21 में ` 19,712 करोड़ हो गई।

### केन्द्रीय कर अंतरण

तालिका 2.6 में पिछले पाँच वर्षों का केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) का घटकवार प्रवृत्ति दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: केन्द्रीय कर अंतरण

(` करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	लागू नहीं	299	5,900	5,844	5,863
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	लागू नहीं	2,134	471	0	0
निगम कर	6,135	6,475	8,313	7,021	5,944
निगम कर के अलावा आय पर कर	4,264	5,467	6,122	5,502	6,093
कस्टम	2,639	2,134	1,695	1,305	1,050
संघ उत्पाद शुल्क	3,013	2,230	1,126	908	663
सेवा कर	3,077	2,404	220	0	85
अन्य कर <sup>2</sup>	14	0	59	13	14
<b>केन्द्रीय कर अंतरण</b>	<b>19,142</b>	<b>21,144</b>	<b>23,906</b>	<b>20,593</b>	<b>19,712</b>
विगत वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	20	10	13	-14	-4
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय कर अंतरण का प्रतिशतता	41	40	43	35	35

पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में सी.टी.टी. में ` 881 करोड़ की कमी हुई थी, जो उपरोक्त तालिका में दिखाए गए अनुसार जी.एस.टी और निगम कर के अलावा अन्य आय पर करों को छोड़कर लगभग सभी करों के कम अंतरण के कारण था। केन्द्रीय कर अंतरण 2019-20 और 2020-21 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 35 प्रतिशत था।

<sup>2</sup> संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क शामिल हैं।

### भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2016-21 अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर में (-) 19.07 प्रतिशत और 33.21 प्रतिशत के बीच वृहत रूप से दोलित था। वर्ष 2018-19 के दौरान, मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में यथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 528 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) में 249 करोड़ तथा स्थानीय निकायों को आधारभूत अनुदान में 538 करोड़ तक कम अनुदान की प्राप्ति के कारण यह सबसे कम थी।

इसके अलावा, वर्ष 2019-20 में 33.21 प्रतिशत से घटकर यह फिर से 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्ति का (-) 2.51 प्रतिशत हो गया। जी.आई.ए. में कमी मुख्य रूप से राज्य के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत 604 करोड़ रूपये और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 749 करोड़ से कम कुल मूलभूत अनुदान के कारण थी।

तालिका 2.7: भारत सरकार से सहायता अनुदान

( करोड़ में )

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
गैर-योजना अनुदान*	1,875.29	-	-	-	-
राज्य योजना हेतु अनुदान*	6,792.89	-	-	-	-
केन्द्रीय योजना हेतु अनुदान*	78.01	-	-	-	-
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान*	515.16	-	-	-	-
विशिष्ट योजना हेतु अनुदान	-	-	-	-	-
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सी.एस.एस.)	-	7,985.24	6,996.85	7,339.05	6,838.85
वित्त आयोग अनुदान	-	1,583.03	1,059.89	3,154.60	2,990.50
राज्यों/विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	1,844.02	1,178.78	1,809.01	2,164.06
<b>कुल</b>	<b>9,261.35</b>	<b>11,412.29</b>	<b>9,235.52</b>	<b>12,302.66</b>	<b>11,993.41</b>
पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	26.21	23.23	-19.07	33.21	-2.51
राजस्व प्राप्तियों से जी.आई.ए. की प्रतिशतता	19.68	21.63	16.45	21.06	21.36

स्रोत: वित्त लेखे

\* कोई अंकडे नहीं: चूँकि 2017-18 से योजना एवं गैर-योजना अनुदान का नामकरण हटा दिया गया तथा इसे सी.एस.एस. हेतु अनुदान, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्यों को अन्य अनुदान में प्रतिस्थापित किया गया।

2016-21 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राज्य को सहायता अनुदान में 9,235.52 करोड़ से 12,302.66 करोड़ के बीच दोलित हुआ और इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में इसका प्रतिशत 16.45 प्रतिशत से 21.63 प्रतिशत के बीच रहा। के. प्रा. यो. अनुदान और वित्त आयोग अनुदान में कम प्राप्ति के कारण सहायता अनुदान की वृद्धि 2019-20 में 33.21 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में नकारात्मक 2.51 प्रतिशत हो गयी।

### चौदहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) अनुदान

एफ.एफ.सी की सिफारिश पर, आधारभूत और सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गमन, सहायता अनुदान का अंतरण

( करोड़ में )

अंतरण	14 <sup>वें</sup> एफ.सी. की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा वास्तविक निर्गमन			राज्य सरकार द्वारा निर्गमन*		
	2015-20	2015-20	2020-21	कुल	2015-20	2020-21	कुल
स्थानीय निकाय							
(i) पी.आर.आई. को अनुदान	6,046.74	5,730.25	1,689.00	7,419.25	12,646.77	1,771.19	14,417.96
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	5,442.07	5,234.22	1,689.00	6,923.22	12,646.77	1,771.19	14,417.96

(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	604.67	496.03	0.00	496.03			
<b>(ii) यू.एल.बी. को अनुदान</b>	<b>1,914.55</b>	<b>1,256.50</b>	<b>733.50</b>	<b>1,990.00</b>	<b>9,199.97</b>	<b>1,930.03</b>	<b>11,130.00</b>
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	1,531.64	1,188.53	530.25	1,718.78	9,199.97	1,930.03	11,130.00
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	382.91	67.97	203.25	271.22			
<b>स्थानीय निकायों के लिए कुल</b>	<b>7,961.29</b>	<b>6,986.75</b>	<b>2,422.50</b>	<b>9,409.25</b>	<b>21,846.74</b>	<b>3,701.22</b>	<b>25,547.96</b>
<b>राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष*</b>	<b>2,010.00</b>	<b>1,507.50</b>	<b>568.00</b>	<b>2,075.50</b>	<b>2,010.00</b>	<b>757.00</b>	<b>2,767.00</b>
<b>कुल योग</b>	<b>9,971.29</b>	<b>8,494.25</b>	<b>2,990.50</b>	<b>11,484.75</b>	<b>23,856.74</b>	<b>4,458.22</b>	<b>28,314.96</b>

\* कुल अनुदान का 25 प्रतिशत राज्यांश सहित; # भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

स्रोत: चौदहवें एवं पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन तथा वित्त लेखे

वर्ष 2015-21 की अवधि के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के लिए ` 9,971.29 करोड़ के 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के विरुद्ध इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ` 8,494.25 करोड़ जारी किये गए जिससे राज्य को ` 1,477.04 करोड़ कम जारी की गयी।

2020-21 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गयी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ` 2,990.50 करोड़ जारी किये गए। आगे, वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य द्वारा शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को कुल ` 4,458.22 करोड़ में से ` 2,990.50 करोड़ आधारभूत और निष्पादन अनुदान के रूप में केंद्र सरकार से प्राप्त हुए थे।

### 2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोत (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है। वर्ष 2016-21 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(` करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>पूँजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>7,119.42</b>	<b>8,203.85</b>	<b>7,850.43</b>	<b>9,642.31</b>	<b>13,595.36</b>
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	38.46	42.41	47.57	49.19	48.78
<b>निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>5,003.51</b>	<b>5,187.81</b>	<b>4,743.34</b>	<b>5,361.72</b>	<b>10,801.76</b>
आंतरिक ऋण	4,927.00	5,117.24	4,637.10	5,109.14	8,411.43
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-55.21)	3.86	(-9.37)	10.17	64.63
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	76.51	70.57	106.22	252.44	2,390.33*
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5,166.89	(-7.76)	50.52	137.66	846.89
पूँजीगत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-46.54)	14.90	(-4.10)	22.93	41.21
पूँजीगत गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.58	76.32	(-29.85)	4.66	(-0.83)
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.34	14.21	13.30	5.06	(-1.27)
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-46.37)	15.23	(-4.31)	22.83	41.00

स्रोत: वित्त लेखे एवं MoSPI वेबसाइट

\* बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ` 1,689 करोड़ शामिल

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, 2016-21 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों की दर में व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। हालाँकि 2020-21 के दौरान राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ मुख्यतः बाजार ऋण (` 1,900 करोड़) के अधीन उधार और भारत सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम (` 2,162 करोड़) की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गई।

वर्ष 2016-20 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की वृद्धि दर और कुल प्राप्ति में व्यापक भिन्नता दिखाई गई, जिसका मुख्य कारण राज्य द्वारा बाजार ऋणों में उतार-चढ़ाव था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पूँजीगत प्राप्ति की वृद्धि दर में बदलाव आया। गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति 2017-18 में विनिवेश से ₹ 25 करोड़ की विविध पूँजीगत प्राप्ति के कारण उल्लेखनीय रूप से बढ़ी।

2020-21 के दौरान, भारत सरकार के ऋणों में 847 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से जी.एस.टी. मुआवजे अनुदानों के स्थान पर ₹ 1,689 करोड़ का ऋण प्राप्त होना है।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिन राजकोषीय वातावरण में पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता और वर्ष के दौरान जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में राज्यों को दिए गए ऋण के कारण भारत सरकार के ऋण और अग्रिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 के दौरान, जी.एस.टी. मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष के कारण, झारखण्ड को जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए जी.एस.टी. मुआवजा अनुदान के विरुद्ध ₹ 1,689 करोड़ का एक के बाद एक (बैक टू बैक) ऋण प्राप्त हुआ। हालाँकि, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया है, उन ऋणों के लिए राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी।

### 2.3.4 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत सहित स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में होता है।

तालिका 2.10: 2020-21 हेतु कर एवं कर-भिन्न प्राप्ति के सापेक्ष अनुमान

(₹ करोड़ में)

	एम.टी.एफ.पी. अनुमान	वास्तविक	वास्तविक भिन्नता का प्रतिशत
स्वयं के कर राजस्व	21,670	16,880	(-)22.10
कर-भिन्न राजस्व	11,820	7,564	(-)36.01

जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है, वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व का वास्तविक संग्रहण वर्ष के लिए अनुमानित एम.टी.एफ.पी. से बहुत कम था।

### 2.4 संसाधनों के अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायी अधिनियम ढाँचे के अधीन व्यय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जबकि उसी समय यह भी सुनिश्चित की जाती है कि राज्य में चल रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत मूल संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्देशित व्यय की लागत पर ना हो।

#### व्यय की संरचना एवं वृद्धि

तालिका 2.11, चार्ट 2.7 तथा परिशिष्ट 2.2 विगत पाँच वर्षों (2016-21) में कुल व्यय तथा उसकी संरचना की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 2.11: कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

ब्योरा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु.व्य.)	57,285	64,756	62,827	66,501	71,110
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	45,089	50,952	50,631	56,457	59,264
पूँजीगत परिव्यय (पू.व्य.)	10,861	11,953	10,712	9,879	8,466
ऋण एवं अग्रिम	1,335	1,852	1,485	165	3,380

स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	24.20	24.00	20.60	20.70	22.40
राजस्व व्यय/ स.रा.घ.उ.	19.10	18.90	16.56	17.58	18.59
पूँजीगत परिव्यय/ स.रा.घ.उ.	4.60	4.43	3.50	3.08	2.65
ऋण एवं अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	0.57	0.69	0.49	0.05	1.07


जैसा कि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है कि स.रा.घ.उ. से कुल व्यय, राजस्व व्यय, ऋण और अग्रिम इत्यादि के अनुपात में वर्ष 2019-20 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में 2020-21 के दौरान बढ़ा, जबकि स.रा.घ.उ. से पूँजीगत परिव्यय अनुपात 2016-17 से 2020-21 तक लगातार घट गया। तालिका में व्यय की प्रवृत्ति सरकारी खर्च में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। तथापि, इस अवधि के दौरान पूँजीगत परिसंपत्ति का सृजन राज्य सरकार की प्राथमिकता नहीं थी।

### तालिका 2.12: विभिन्न क्षेत्रों में व्यय से संबंधित हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)


ब्यौरा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवा	23.80	26.90	29.40	30.00	29.00
सामाजिक सेवा	35.20	32.60	32.50	34.50	35.00
आर्थिक सेवा	41.00	40.50	38.10	35.50	36.00

### चार्ट 2.7: कुल व्यय – इसकी संरचना के हिस्से की प्रवृत्तियाँ



तालिका 2.12 एवं चार्ट 2.7 से यह स्पष्ट है कि सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2016-20 के दौरान लगातार बढ़ रहा था, जबकि 2020-21 के दौरान इसमें मामूली कमी आई। सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर खर्च का हिस्सा 2019-20 और 2020-21 के दौरान लगभग समान रहा। उपरोक्त तालिका एवं चार्ट से यह भी देखा जा सकता है कि आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2016-17 में 41 प्रतिशत से लगातार घटकर 2020-21 में 36 प्रतिशत हो गया, जो इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई कम प्राथमिकता का संकेत था।

**चार्ट 2.8: कुल व्यय - गतिविधियों अनुसार खर्च**



जैसा कि **चार्ट 2.8** से स्पष्ट है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2016-17 में 78.71 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 2020-21 में 83.34 प्रतिशत हो गया, जबकि इस अवधि के दौरान, सार्वजनिक ऋण (वर्ष दर वर्ष) बढ़ने के बावजूद, 2018-19 को छोड़कर पूँजीगत व्यय का हिस्सा 2016-17 में 18.96 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 11.91 प्रतिशत हो गया।

#### 2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय विगत उत्तरदायित्व हेतु व्यय तथा सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः, यह राज्य के आधारभूत ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करती है।

यह देखा गया है कि कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय (रा.व्य.) वर्ष 2016-17 के 80.6 प्रतिशत से प्रमुखता से बढ़कर 2020-21 में 87.5 प्रतिशत हो गई। आगे, स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 2020-21 में एक प्रतिशत बिन्दु से भी बढ़ोतरी हुई।

2020-21 के दौरान कुल राजस्व व्यय ` 59,263.59 करोड़ में से ` 30,893.46 करोड़ स्थापना पर तथा ` 28,370.13 करोड़ राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं पर व्यय किया गया। आगे, ` 59,263.59 करोड़ में से, मुख्य हिस्सा (36 प्रतिशत) आर्थिक सेवा पर खर्च किया गया, इसके बाद सामाजिक सेवा पर (35 प्रतिशत) खर्च किया गया। कुल राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि दर, स.रा.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष उत्लावकता तथा कुल व्यय से इसका अनुपात **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है एवं 2020-21 से संबंधित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण **चार्ट 2.9** में दिया गया है।



तालिका 2.13: राजस्व व्यय-आधारभूत प्राचल


(' करोड़ में)

प्राचल	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु.व्य.)	57,285	64,756	62,827	66,501	71,110
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	45,089	50,952	50,631	56,457	59,264
रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	23.40	13.00	-0.60	11.50	5.00
कुल व्य. के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	78.70	78.70	80.60	84.90	83.30
रा.व्य./ स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	19.10	18.90	16.56	17.58	18.69
रा.प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	95.80	96.60	90.20	96.60	105.50
<b>राजस्व व्यय की उत्प्लावकता</b>					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	1.63	0.91	-0.05	2.27	-3.94
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.48	1.07	-0.09	2.85	-1.29

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2020-21 के दौरान कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में विभिन्न सेवाओं पर राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार-विवरण



वर्ष 2019-20 में 11.5 प्रतिशत के तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर पाँच प्रतिशत कम रही तथा वर्ष के दौरान कुल व्यय में इसकी प्रतिशतता 1.6 प्रतिशत घटी। यद्यपि, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 1.11 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। आगे, 2020-21 के दौरान बजट आकलन (' 73,316 करोड़) के सापेक्ष राजस्व व्यय ' 14,052 करोड़ से कम था।

### राजस्व व्यय में मुख्य परिवर्तन

वर्तमान वर्ष एवं विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन महत्वपूर्ण अंतर तालिका 2.14 में वर्णित है।

तालिका 2.14: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

(' करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि(+)/ कमी(-)
---------------------	---------	---------	-------------------

2040- बिक्री कर, व्यापार इत्यादि	80.26	83.24	2.98
2075- विविध सामान्य सेवाएँ	2.02	0.00	-2.02
2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता	655.47	857.29	201.82
2216- आवास	12.79	16.34	3.55
2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण	1,205.41	911.79	-293.62
2236 - पोषण	436.15	272.19	-163.96
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	607.69	1,093.81	486.12
2505- ग्रामीण विकास	3,495.94	4,123.14	627.20
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,769.15	3,021.35	-747.80

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, (1) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (2) आदिवासी क्षेत्र उप-योजना (3) अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और (4) पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर मुख्य रूप से क्रमशः 32 प्रतिशत, 58 प्रतिशत, 21 प्रतिशत और 11 प्रतिशत कम खर्च के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा/वर्ग के कल्याण पर राजस्व व्यय में काफी कमी आई है।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर राजस्व व्यय मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों और आदिवासी क्षेत्र उप-योजना का क्रमशः 43 प्रतिशत और 38 प्रतिशत कम सहायता के कारण कम हुआ।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों पर राजस्व व्यय में वृद्धि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पर 41 प्रतिशत अधिक व्यय, अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना पर 88 प्रतिशत और आदिवासी क्षेत्र उपयोजना पर 48 प्रतिशत अधिक व्यय का परिणाम था। इसी प्रकार, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना प्रत्येक पर लगभग 206 प्रतिशत के अधिक व्यय का परिणाम था।

#### 2.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विकासशील क्षेत्र के लिए सरकार को कम लचीलापन प्रदान करती है।

**तालिका 2.15** वर्ष 2016-21 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्तियाँ और वर्ष 2016-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता को दर्शाती है।

**तालिका 2.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक**

( करोड़ में )

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन व मजदूरी	8,927	11,221	12,138	12,832	12,885
पेंशन पर व्यय	4,135	5,913	5,991	6,005	6,797
ब्याज भुगतान	4,172	4,662	4,852	5,308	5,790
<b>कुल</b>	<b>17,234</b>	<b>21,796</b>	<b>22,981</b>	<b>24,145</b>	<b>25,472</b>
<b>राजस्व प्राप्तियों (रा. प्रा.) ( ₹ 56,150 करोड़) के प्रतिशतता के रूप में</b>					
वेतन व मजदूरी	19.00	21.30	21.60	22.00	22.90
पेंशन पर व्यय	8.79	11.21	10.67	10.28	12.11
ब्याज भुगतान	8.87	8.84	8.64	9.09	10.31
<b>कुल</b>	<b>36.65</b>	<b>41.34</b>	<b>40.91</b>	<b>41.37</b>	<b>45.32</b>
<b>राजस्व व्यय (रा. व्य.) ( ₹ 59,264 करोड़) के प्रतिशतता के रूप में</b>					

वेतन व मजदूरी	19.80	22.02	23.97	22.73	21.74
पेंशन पर व्यय	9.17	11.61	11.83	10.64	11.47
ब्याज भुगतान	9.25	9.15	9.58	9.40	9.77
<b>कुल</b>	<b>38.22</b>	<b>42.75</b>	<b>45.42</b>	<b>42.74</b>	<b>42.98</b>

2020-21 के दौरान, वेतन व मजदूरी, ब्याज अदायगी एवं पेंशन पर कुल व्यय वर्ष 2019-20 में 42.74 प्रतिशत के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत 42.98 रहा जबकि इसमें 2019-20 में 41.37 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्तियों का 45.32 प्रतिशत खपत की गई।

### ब्याज अदायगी

ब्याज अदायगी की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 के 9.40 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में 9.10 प्रतिशत थी। मुख्यतः बाजार ऋण पर अधिक ब्याज और राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष के शेष पर ब्याज के भुगतान के कारण, राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2019-20 में 9.09 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 10.31 प्रतिशत हो गई।

### राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त दायित्व

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद बहाल किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (रा.पे.प्र.) के तहत रखा गया है जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के संदर्भ में, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है जिसके बराबर राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

2020-21 के दौरान ` 582.16 करोड़ के नियोक्ता के योगदान को एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल. के द्वारा नामित निधि प्रबंधक को नियोक्ता के योगदान के रूप में ` 566.86 करोड़ के मुकाबले ` 581.08 करोड़ हस्तांतरित किए। वर्ष 2020-21 के अंत तक लोक लेखा में (मुख्य शीर्ष 8342-117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना) ` 25.33 करोड़ शेष रह गयी।

### सब्सिडी

जैसा कि तालिका 2.16 में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में कमी हुई है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी उल्लेखनीय रूप से 2019-20 में 7.32 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 5.71 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी उल्लेखनीय रूप से 2019-20 में 7.57 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 5.41 प्रतिशत हो गई।

2020-21 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2401- फसल कृषि-कर्म (` 876 करोड़), 2801- ऊर्जा (` 1,000 करोड़) तथा 3456- जन आपूर्ति (` 1,243 करोड़) की सब्सिडी दी। सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान, सब्सिडी में ` 1,073 करोड़ की कमी मुख्य रूप से फसल कृषि कर्म के तहत कृषि फार्मों के लिए ` 600 करोड़, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में ` 700 करोड़, उपभोक्ताओं के लिए जे.बी.वी.एन.एल के माध्यम से टैरिफ सब्सिडी में ` 350 करोड़ और प्रधानमंत्री उज्वला योजना में ` 116 करोड़ की कमी के कारण थी।

तालिका 2.16: वर्ष 2016-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सब्सिडी (` करोड़ में)	1,859	1,440	2,092	4,275	3,202
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप	3.95	2.73	3.73	7.32	5.71

में सब्सिडी					
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	4.12	2.83	4.13	7.57	5.41

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

**स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता**  
स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है।

तालिका 2.17: संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता

(` करोड़ में)


संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>(अ) स्थानीय निकायें</b>					
नगर निगम एवं नगरपालिका	2,961.14	1,155.11	1,748.50	1,505.45	1,930.03
पंचायती राज संस्थान	2,533.77	1,270.13	2,937.69	2,497.70	1,771.20
<b>कुल (अ)</b>	<b>5,494.91</b>	<b>2,425.24</b>	<b>4,686.19</b>	<b>4,003.15</b>	<b>3,701.23</b>
<b>(ब) अन्य</b>					
विश्वविद्यालय	1,133.03	671.67	621.08	1,265.29	1,771.17
विकास प्राधिकरण	3,915.39	7,447.41	3,952.30	10,771.73	8,283.26
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	0.00	0.00	0.00	1,753.28	2,119.77
अन्य संस्थान	9,788.69	10,169.67	8,716.24	1,398.01	4,202.24
<b>कुल (ब)</b>	<b>14,837.11</b>	<b>18,288.75</b>	<b>13,289.62</b>	<b>15,188.31</b>	<b>16,376.44</b>
<b>कुल (अ+ब)</b>	<b>20,332.02</b>	<b>20,713.99</b>	<b>17,975.81</b>	<b>19,191.46</b>	<b>20,077.67</b>
राजस्व व्यय	45,089	50,952	50,631	56,457	59,264
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	45.09	40.65	35.50	33.99	33.88

2020-21 के दौरान शहरी स्थानीय निकाय को दिए गए वित्तीय सहायता में ` 424.58 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 14वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री आवास योजना (` 203.86 करोड़) द्वारा अनुशंसित ` 401.81 करोड़ के विरुद्ध 15वें वित्त आयोग (` 809.03 करोड़) के तहत प्रदान किए गए अनुदान को शामिल करने के कारण हुई। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मूल अनुदान की प्राप्ति 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पिछले वर्ष की तुलना में ` 547.71 करोड़ की कमी के कारण पंचायती राज संस्थान को वित्तीय सहायता में कमी आई।

### 2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू. व्य.) वह प्राथमिक व्यय है जो निर्धारित आधारभूत संरचना जैसे सड़क, भवन इत्यादि के निर्माण पर खर्च होता है।

चार्ट 2.10: राज्य में पूँजीगत व्यय



### पूँजीगत व्यय में प्रमुख बदलाव

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान पूँजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हुई, हालाँकि यह 2017-18 में ₹ 11,953 करोड़ से लगातार घटकर 2020-21 में ₹ 8,466 करोड़ हो गई। 2020-21 के दौरान, सामान्य सेवाओं पर पिछले वर्ष की तुलना में कम व्यय के कारण पूँजीगत व्यय में 38 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 14 प्रतिशत की कमी हुई। सामान्य सेवाओं पर व्यय में कमी मुख्य रूप से 2020-21 के दौरान पुलिस पर (₹ 236 करोड़) और सार्वजनिक कार्य पर (₹ 178 करोड़) कम खर्च के कारण हुई। पुलिस पर खर्च में कमी मुख्य रूप से पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कम आवंटन और अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए केंद्रीय सहायता की कम प्राप्ति के कारण हुई, जबकि सार्वजनिक कार्यों में यह मुख्य रूप से वर्ष के दौरान कार्यालय और अदालत भवनों के लिए कम आवंटन के कारण था।

पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर कम पूँजीगत व्यय (पूँज्य.) के बावजूद, 2020-21 में पूँजीगत व्यय (पूँज्य.) का प्रमुख हिस्सा आर्थिक सेवाओं (₹ 6,203 करोड़) पर ही था। परिवहन (₹ 3,120 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 1,283 करोड़) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,046 करोड़) के व्यय को प्राथमिकता दी गई। हालाँकि, पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान इन सभी सेवाओं पर कम व्यय हुआ। कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर पूँजीगत व्यय उल्लेखनीय रूप से 2019-20 में ₹ 176 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 76 करोड़ हो गया।

राज्य का पूँजीगत व्यय (₹ 8,466 करोड़) वर्ष 2020-21 के लिए किए गए इसके बजट प्रावधान (₹ 8,653 करोड़) के लगभग बराबर था। हालाँकि, पूँजीगत व्यय के लिए बजट प्रावधान से ₹ 187 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया था। बचत का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से प्रमुख सड़कों के निर्माण (₹ 147 करोड़), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण के लिए ऋण (₹ 142 करोड़) और ट्यूबवेल और कुँओं द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (₹ 100 करोड़) हेतु प्रदान किए गए निधि से था।

### तालिका 2.18: 2019-20 के तुलना में 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय

लेखाओं का मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि(+)/कमी(-)
4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	806.63	570.88	-235.75
4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	366.15	188.76	-177.39
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	258.13	94.87	-163.26
4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	347.69	586.13	238.44
4515-अन्य ग्रामीण विकास पर पूँजीगत परिव्यय	1,991.11	1,283.49	-707.62
4700-वृहत् सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	415.13	94.85	-320.28
4801-ऊर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	626.00	626.00

5054-सड़क व पुल पर पूंजीगत परिव्यय	3,674.33	3,081.21	-593.12
------------------------------------	----------	----------	---------

#### 2.4.4 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

##### **कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता**

23 कंपनियों से प्राप्त अद्यतन लेखों के अनुसार, छः कंपनियों<sup>3</sup> का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, क्योंकि उनका संचयी निवल मूल्य 31 मार्च 2020 तक (-) ₹ 5,261.22 करोड़ था।

पुनः उनके लेखाओं के अनुसार 12 कंपनियों को हानि हो रही थी और वर्ष 2019-20 के दौरान उनका हानि ₹ 1,360.96 करोड़ था। हानि में चल रही इन कंपनियों में से तीन कंपनियों (जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और झारखण्ड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लि.) को सरकार से वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 454.14 करोड़ राशि का ऋण प्राप्त हुआ। चूंकि, हानि में चल रही इन कंपनियों को दिया गया ऋण राज्य के पूंजीगत व्यय में शामिल किया गया था, परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों का अधिमूल्यन हुआ।

यह भी पाया गया कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल निवेश ₹ 18,531.73 करोड़ था जिसमें से दिनांक 31 मार्च 2020 तक राज्य द्वारा कुल निवेश ₹ 17,317.48 करोड़ था। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचयी हानि दिनांक 31 मार्च 2020 तक ₹ 8,166.11 करोड़ थी।

##### **सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश**

31 मार्च 2021 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य के गठन के उपरांत ₹ 1,111.65 करोड़ का निवेश तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक<sup>4</sup> (₹ 45.73 करोड़), 18 सरकारी कंपनियाँ (₹ 904.88 करोड़) और 21 सहकारी बैंकों और सोसायटीज (₹ 161.04 करोड़) में किया। हालांकि, 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लेखाओं और राज्य के स्वीकृत्यादेश के सत्यापन से पता चला कि बजट वर्गीकरण में त्रुटियों के कारण अर्थात् उचित लघु मद के तहत निवेश प्रदान नहीं करने और शेयर पूंजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दर्शाये जाने के कारण सरकारी लेखे ने

2000-2016 के दौरान ₹ 124.54 करोड़ के निवेश को कम करके आंका गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, राज्य के वित्त विभाग ने 2020-21 के अंत में चार कंपनियों में ₹ 65 करोड़<sup>5</sup> के निवेश को संशोधित कर समाशोधित कर लिया, हालांकि,

<sup>3</sup> तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (- ₹ 1,013.63 करोड़), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (- ₹ 4,187.57 करोड़), झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड (- ₹ 14.31 करोड़), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (- ₹ 36.18 करोड़), झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (- ₹ 7.74 करोड़) और झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (- ₹ 1.79 करोड़)

<sup>4</sup> राज्य सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 18.96 करोड़), झारखण्ड ग्रामीण बैंक राँची (₹ 18.37 करोड़) और वनांचल ग्रामीण बैंक दुमका (₹ 8.40 करोड़)

<sup>5</sup> झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ₹ 35 करोड़; झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम ₹ 10 करोड़ और झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड - ₹ 15 करोड़।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ` 59.54 करोड़<sup>6</sup> का निवेश अभी भी असमायोजित था।

**तालिका 2.19: निवेश पर प्रतिफल**

निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्ष के अंत में निवेश ( करोड़ में)	320.83	376.87	432.87	447.95	1,111.65
प्रतिफल ( करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
सरकारी उधारी पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत)	6.76	6.98	6.29	6.34	6.13
ब्याज दर तथा प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	6.76	6.98	6.29	6.34	4.78

स्रोत: वित्त लेखे

एक कंपनी (झारखण्ड स्टेट बेवरेज कोरपोरेशन लिमिटेड) से अपने निवेश पर लंबे समय के बाद ` 15 करोड़ के न्यूनतम प्रतिफल होने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान इक्विटी के रूप में राज्य के पाँच<sup>7</sup> सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और एक सहकारी (जनजातीय सहकारिता विकास) में ` 663.70 करोड़ का निवेश किया। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकारी उधार की लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच बड़ा अंतर था।

14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा दामोदर घाटी निगम ( ` 1,781.55 करोड़) तथा तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड ( ` 100 करोड़) में इक्विटी के रूप में निवेश किया गया जिसे उत्तरवर्ती राज्य बिहार तथा झारखण्ड में बटवारा नहीं किया गया।

#### 2.4.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

तालिका 2.19 में दिखाए गए संस्थाओं के शेयर में निवेशों के अलावे राज्य सरकार कई संस्थाओं और इसके कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम प्रदान करती है। 31 मार्च 2021 को बकाया ऋण व अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान तालिका 2.20 में प्रस्तुत है।

**तालिका 2.20: पाँच वर्षों के दौरान दी गई और वसूली गई ऋण की मात्रा**

दी गई तथा वसूली गई ऋण की मात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया ऋण का प्रारंभिक शेष	16,187	17,483	19,292	20,730	20,846
वर्ष के दौरान अग्रिम के रूप में दी गई राशि	1,335	1,852	1,486	165	3,380
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	39	43	48	49	49
ऋण बकाया का अंत शेष	17,483	19,292	20,730	20,846	24,177
निवल जोड़	1,296	1,809	1,438	116	3,331
प्राप्त ब्याज	3.88	87.66	14.72	38.91	22.62
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम पर ब्याज दर	0.02	0.50	0.08	0.19	0.11
सरकार के बकाया उधार पर भुगतित ब्याज दर	6.76	6.98	7.98	6.34	6.13
ब्याज भुगतान दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.74	6.48	7.90	6.15	6.02

<sup>6</sup> ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण - ` 39.14 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड - ` 2 करोड़; झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड - ` 5 करोड़; झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड - ` 8.40 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं जन आपूर्ति निगम लिमिटेड - ` 5 करोड़।

<sup>7</sup> माइनोरिटी डेवलपमेंट एवं फाइनेंस कॉरपोरेशन ( ` 0.50 करोड़); झारखण्ड इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ( ` 7 करोड़); झारखण्ड सेंट्रल रेल प्रोजेक्ट ( ` 25 करोड़), होटल अशोक विहार लिमिटेड ( ` 25 करोड़) और झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड ( ` 626 करोड़)।



मार्च 2021 को समाप्त तिमाही पर कुल बकाया राशि (₹ 24,177 करोड़) का बड़ा भाग मुख्य रूप से ऊर्जा कंपनियों (₹ 23,294 करोड़) और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 776 करोड़) के पास बकाया था।

योजनाओं के क्रियान्वयन और संचरण उद्देश्य के लिए बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,523 करोड़) तथा ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (₹ 825 करोड़) को ऋण दिया गया था। मार्च 2021 के अंत में ऋणदाता संस्थाओं की लंबित बकाया राशि ₹ 3,479.86 करोड़ (मूलधन ₹ 1,810.16 करोड़ और ब्याज ₹ 1,669.70 करोड़) थी।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य और जन आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) का ऋण पूँजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के अधीन गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखों में न्यूनोक्ति हुई। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) को प्रदत्त ₹ 7,222.18 करोड़ के ऋण को बोर्ड से प्राप्तियों के रूप में सरकारी लेखों में दर्शाया जाना जारी है, जबकि बोर्ड जनवरी 2014 में अलग-अलग कंपनियों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार, राज्य की परिसंपत्तियों में ₹ 7,222 करोड़ की सीमा तक अत्योक्ति हुई।

आगे, 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 608 करोड़) के ऋण का बँटवारा उत्तराधिकारी राज्य बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं किया गया।

#### 2.4.6 अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी में प्रवृत्तियों का आकलन पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अधूरे परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि को रोकना, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और लंबे समय के लिए इच्छित लाभों से राज्य को वंचित रखता है। पुनः संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यावयन के लिए लिया गया उधार, ऋण और ब्याज देनदारियों की सेवा के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाता है।

अधूरी परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार और वर्ष-वार सूचना जो 31 मार्च 2021 तक या उससे पहले पूरी की जानी थी, क्रमशः तालिका 2.21 और 2.22 में दी गई है।

तालिका 2.21: 31 मार्च 2021 तक अधूरी/परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2021 तक)	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	राशि
2014 तक	6	120	74	3	5
2015	13	174	154	3	7
2016	15	500	268	2	15
2017	21	402	346	6	32
2018	43	520	419	7	31
2019	87	1,842	1,283	10	20
2020	189	4,055	2,125	16	77
<b>कुल</b>	<b>374</b>	<b>7,613</b>	<b>4,669</b>	<b>47</b>	<b>187</b>

तालिका 2.22: 31 मार्च 2021 तक अधूरी परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित व्यय	व्यय	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	अनुमान में वृद्धि
सड़क निर्माण विभाग	125	4,793.81	2,845.88	21	168.25
ग्रामीण विकास विभाग	102	396.31	266.24	5	2.72



जल संसाधन विभाग	84	1,475.29	841.27	14	8.97
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	42	689.19	598.84	7	7.39
भवन निर्माण विभाग	21	258.59	117.01	शून्य	शून्य
<b>कुल</b>	<b>374</b>	<b>7,613.19</b>	<b>4,669.24</b>	<b>47</b>	<b>187.33</b>

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त सारणी में दिखाई गई 374 परियोजनाओं में से केवल 47 परियोजनाओं की संशोधित लागत प्रदान की गई, जिससे पता चला कि उन 40 परियोजनाओं में ₹ 971.57 करोड़ की अनुमानित लागत समय पर उन परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 215.14 करोड़ तक बढ़ गई, जिसकी भरपाई सात परियोजनाओं के संशोधित अनुमानों के ₹ 27.81 करोड़ से की गई। चूंकि शेष परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए उनकी संशोधित लागत वित्त लेखे में नहीं दर्शाया गया था और इस प्रकार उसकी गणना नहीं की जा सकी।

### 2.4.7 लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूंजीगत व्यय

वित्त लेखे से यह देखा गया कि ₹ 2,605.33 करोड़ समेकित निधि के पूंजीगत शीर्ष से लोक लेखा के जमा शीर्ष में स्थानांतरित किए गए थे। कुल स्थानांतरित राशि में से ₹ 300.53 करोड़ लोक निर्माण कार्य जमा शीर्ष को और ₹ 2,304.80 करोड़ स्थानीय निधियों के जमा में स्थानांतरित किए गए। कुछ मुख्य मदें तालिका 2.23 में दिखाया गया है।

तालिका 2.23: समेकित निधि से लोक लेखा में स्थानांतरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
	से	तक			
1	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	125.38
2	4801	ऊर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा-107 राज्य बिजली बोर्ड निर्माण निधि	626.00
3	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	109.53
4	4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	517.96
5	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	142.26
6	5054	सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	766.97
<b>कुल</b>					<b>2,288.10</b>

लोक लेखे में निधि का खाता अंतरण एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में धन का हस्तांतरण मात्र था और वास्तविक व्यय नहीं था जिसके कारण पूंजीगत संभाग के अंतर्गत व्यय को अधिक दिखाया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान जमा शीर्ष से स्थानांतरित राशियों का व्यय राज्य के लेखाओं में विवरण की अनुपलब्धता के कारण पता लगाया नहीं जा सका। तथापि, यह देखा गया कि लघु शीर्ष 108-लोक निर्माण कार्य जमा अंतर्गत ₹ 4,492.30 करोड़ के प्रारंभिक शेष में ₹ 1,871.24 करोड़ जोड़ा गया था (उपर्युक्त तालिका में दिखाये गए लेन-देन को शामिल करते हुए) तथा ₹ 2,048.42 करोड़ खर्च किया गया जिससे मार्च 2021 के अंत तक ₹ 4,315.11 करोड़ का शेष रहा। इसी प्रकार ₹ 1,113.15 करोड़ (उपर्युक्त तालिका में दिखाये गए लेन-देन को शामिल करते हुए) लघु शीर्ष 106- व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत ₹ 1,155.66 करोड़ के प्रारंभिक शेष में जोड़ा गया तथा वर्ष के दौरान ₹ 522.29 करोड़ खर्च किया गया जिससे ₹ 1,746.52 करोड़ का शेष रहा।

### 2.4.8 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी) सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच एक व्यवस्था है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने में राज्य को सक्षम बनाती है, और एक ढाँचा प्रदान करती है।

तालिका 2.24: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार-ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		कार्यशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय
1	ऊर्जा	1	181.43	1	77.00	-	-
2	पर्यटन	-	-	1	250.00	-	-
3	चिकित्सा	-	-	1	80.10	-	-
4	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	-	-	1	12.00	1	150.00
5	सड़क एवं पुल	8	4,372.68	2	642.60	-	-
6	शिक्षा	-	-	-	-	1	17.99*
	कुल	9	4,554.11	6	1,061.70	2	167.99

स्रोत: [www.pppinindia.gov.in](http://www.pppinindia.gov.in) \*वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं होने के कारण भविष्य के योजना में शामिल किया गया

### 2.4.9 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय की एक श्रेणी के तहत कुल व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम होती है। कुल व्यय से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता को उतना बेहतर माना जाता है।

तालिका 2.25: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय की प्राथमिकता (प्रतिशत में)

	ऋण तथा अग्रिम का संवितरण/ ए.इ.	सी.ओ/ ए.इ.	सी.इ./ ए.इ.	एस.एस.इ/ ए.इ.	इ.एस.इ/ ए.इ.	शिक्षा/ ए.इ.	स्वास्थ्य/ ए.इ.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2015-16)	4.33	14.43	18.78	36.26	34.35	15.45	5.45
झारखण्ड (2015-16)	14.33	15.63	29.96	21.32	45.33	12.60	4.16
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2020-21)	1.27	11.77	13.03	37.81	28.48	15.00	6.74
झारखण्ड (2020-21)	4.75	11.90	16.66	34.96	35.96	14.16	5.72


जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, 2020-21 के दौरान शिक्षा व्यय और स्वास्थ्य व्यय का कुल व्यय से अनुपात 2015-16 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में कम रहा। 2015-16 की तुलना में 2020-21 में सामाजिक क्षेत्र पर समग्र व्यय से कुल व्यय का अनुपात में भी सुधार देखा गया।

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र के व्यय पर सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत की तुलना में वर्ष 2015-16 तथा 2020-21 दोनों में झारखण्ड का अनुपात कम था। जो इस सेवाओं पर राज्य सरकार की कम प्राथमिकता को इंगित करता है। 2015-16 से व्यय की प्राथमिकता नहीं बदली गई, जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है।

### 2.4.10 वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय

वित्त लेखे सिर्फ लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन को दर्शाता है। अतः वित्त लेखे के विवरण चार में वस्तु शीर्ष के स्तर तक दिखाया जाता है। **चार्ट 2.11** वस्तु उद्देश्य के प्रमुख मदों पर राजस्व व्यय के बारे में जानकारी साझा करता है।

**चार्ट 2.11: मुख्य मदों पर व्यय**



जैसा कि **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है, वर्ष 2020-21 के दौरान वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया गया, हालांकि, प्रमुख कार्यों पर अर्थात् राज्य के बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए लगभग कुल राजस्व व्यय का 10 प्रतिशत व्यय किया गया।

## 2.5 लोक लेखा

प्राप्तियां और संवितरण के कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत निर्धारित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। इस संबंध में सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है।

### 2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष **तालिका 2.26** में दिया गया है।

**तालिका 2.26: 31 मार्च 2021 तक लोक लेखाओं में घटक-वार निवल शेष**

( करोड़ में )


क्षेत्र	उप क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
I. लघु बचत, भविष्य निधि आदि.	लघु बचत, भविष्य निधि आदि.	-1,075.67	-1,142.18	-1,211.11	-1,216.86	-1,194.40
J. आरक्षित निधि	(अ) रक्षित निधि ब्याज सहित	-1,259.21	-1,551.04	-1,930.09	-5,948.02	-6,320.39
	(ब) रक्षित निधि ब्याज रहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. जमा व अग्रिम	(अ) रक्षित निधि ब्याज सहित	-9.70	-13.52	-12.64	-39.55	-25.33
	(ब) रक्षित निधि ब्याज रहित	-13,637.8	-18,356.4	-19,853.8	-21,065.2	-24,331.45
	(स) अग्रिम	4.94	5.78	6.28	7.15	19.67
L. उचंत एवं विविध	(अ) उचंत	-92.08	132.14	5.42	-91.29	-146.35
	(ब) अन्य लेखे	1,445.59	392.6	207.09	3,117.62	2,855.90
	(स) विदेशी सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	के साथ लेखे					
	(द) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
M. प्रेषण	(अ) मनीऑर्डर, एवं अन्य प्रेषण	28.65	-66.84	-118.85	-114.25	-133.68
	(ब) अंतर सरकारी समायोजन खाता	24.15	27.16	19.57	31.95	7.23
	<b>कुल</b>	<b>-14,571.13</b>	<b>-20,572.30</b>	<b>-22,888.13</b>	<b>-25,318.45</b>	<b>-29,267.20</b>

नोट: सकारात्मक डेबिट शेष एवं नकारात्मक क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।

चार्ट 2.12: लोक लेखा शेष की संरचना में वर्ष-वार परिवर्तन



पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान जमा तथा अग्रिम में निवल योग मुख्य रूप से राज्य विद्युत बोर्ड कार्य निधि (₹ 968.81 करोड़) के साथ मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा अंतर्गत व्यक्तिगत जमा (₹ 590.87 करोड़), तथा मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि का जमा के अंतर्गत अन्य निधि (₹ 1,378.16 करोड़) के क्रेडिट में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण था। वर्ष के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि को ₹ 978 करोड़ जमा होने के कारण ब्याज सहित रक्षित कोष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

### 2.5.2 ब्याज सहित रक्षित निधि

रक्षित निधि राज्य सरकार के लोक खाते के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। ये निधियां राज्य के समेकित निधि से अंशदान या अनुदानों से बनाये गए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के दो ब्याज सहित आरक्षित निधि हैं; (1) राज्य आपदा मोचन निधि (2) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि।

#### राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

एस.डी.आर.एफ. दिशा-निर्देश 2015 के कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार को लोक लेखे शीर्ष के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त हिस्से को एस.डी.आर.एफ. में प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर हस्तांतरित करना आवश्यक होता है। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों के हिसाब से ब्याज सहित राशि (आर.बी.आई की बैंक दर) जारी करने की आवश्यकता होती है।

2020-21 के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति के बाद 252 दिनों (₹ 284 करोड़) और 2 दिनों (₹ 284 करोड़) के विलंब के साथ लोक लेखों में अपने हिस्से के साथ भारत सरकार से प्राप्त योगदान को हस्तांतरित किया, जिसके लिए राज्य सरकार ₹ 11.86 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया।

एस.डी.आर.एफ दिशा-निर्देश 2015 के कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य द्वारा निधि के तहत शेष का (अ) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ब) नीलामी की गई कोषागार विपत्रों और (स) वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज वाले जमा और अधिसूचित जमा के प्रमाण-पत्र में निवेश किया जाना था। झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने सूचित किया

(जुलाई 2019) कि वर्ष 2012-13 के दौरान ` 400 करोड़ अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में निवेश किया गया।

आगे, दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार ओवर ड्राफ्ट पर देय ब्याज (6.20 प्रतिशत) की दर से गैर-निवेशित शेष राशि पर भुगतान करने की आवश्यकता थी, जिसे उसी कोष में जोड़ा जाना था। हालांकि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके गठन के समय से ही कोई ब्याज भुगतान नहीं किया था, जिससे 2011-21 की अवधि के दौरान लागू ब्याज दरों पर ब्याज ` 797.98 करोड़ हो गया था। इसमें से, केवल 2020-21 में अभुगतित ब्याज ` 128.08 करोड़ (` 116.22 करोड़ और ` 11.86 करोड़) था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। इसके साथ-साथ, 31 मार्च 2021 तक निधि में ` 2,520.47 करोड़ का अनिवेशित शेष सिर्फ खाता प्रविष्टि थी, जो वास्तविक नकद शेष को नहीं दर्शाती है। इस तरह, निधि के संचालन के शुरुआत से अदत्त ब्याज राज्य के अलेखित देनदारियों को दर्शाता है।

**तालिका 2.27: एस.डी.आर.एफ को भारित व्यय की विवरणी**

(` करोड़ में)

लेखे के प्रमुख शीर्ष	लेखे के लघु शीर्ष	2020-21 के दौरान व्यय
2245- प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 01- सूखा	101-नि.शुल्क राहत	0.00
	102-पेयजल आपूर्ति	11.11
<b>उप योग</b>		<b>11.11</b>
2245- प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि	101- नि.शुल्क राहत	1.40
	113- घर के मरम्मती और पुनर्निर्माण	1.92
	114- किसानों को कृषि इनपुट के खरीदी के लिए सहायता	4.11
<b>उप योग</b>		<b>7.43</b>
2245- प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	101- रक्षित निधि एवं जमा निधि में स्थानांतरण- रा.आ.प्र.नि.	978.00
	901- कटौती – राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि	394.52
<b>उप योग</b>		<b>583.48</b>
2245-प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 80- सामान्य	निदेशन एवं प्रशासन, आपदा तैयारी का प्रशिक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इत्यादि	376.97
<b>उप योग</b>		<b>376.97</b>
<b>कुल योग</b>		<b>978.99</b>

### राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

सी.ए.एफ. (लेखा पद्धति) नियम, 2018 के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी से प्राप्त सभी रकम प्राथमिक तौर पर मुख्य शीर्ष "8336- सिविल जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "103-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा करने की आवश्यकता थी। तत्पश्चात इसका 90 प्रतिशत मुख्य-शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु-शीर्ष- "129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा करना था। शेष 10 प्रतिशत मासिक आधार पर राष्ट्रीय निधि के मुख्य शीर्ष "8336-नागरिक जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "102-राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा-11-झारखण्ड" को अंतरित करना था।

इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक प्राधिकारी से राज्य का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने पर (एक बार के लिए) इसे मुख्य-शीर्ष "8121 सामान्य और अन्य रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु शीर्ष-"129- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा की गई।

2020-21 के दौरान, कोष में प्राप्ति ` 399.12 करोड़ थी और 31 मार्च, 2021 को एस.सी.ए.एफ. में ` 4,199.92 करोड़ की राशि छोड़कर वर्ष के दौरान कोष से ` 210.24 करोड़ का व्यय हुआ।

चूँकि, एस.सी.ए.एफ. एक ब्याज वहन आरक्षित कोष है, सरकार को वर्ष के अंतिम शेष (` 4,011.03 करोड़) पर 1 जनवरी (वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः 4.90

प्रतिशत और 3.35 प्रतिशत) को आर.बी.आई. की रिवर्स रेपो दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता है, जोकि ` 329.58 करोड़ है। जिसके विरुद्ध सरकार ने 2020-21 के दौरान ` 228.70 करोड़ का भुगतान किया, जिससे ` 100.88 करोड़ का बकाया ब्याज शेष रह गया।

### 2.5.3 ब्याज रहित रक्षित निधि

#### समेकित हास निधि

बारहवें वित्त आयोग के सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लेखाओं के दायित्वों सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि बनाया था।

वर्ष 2020-21 के शुरुआत में झारखण्ड सरकार का ` 94,406.60 करोड़ का बकाया ऋण था, जिसके लिए झारखण्ड सरकार ने वर्ष के दौरान ` 303.87 करोड़ का बजट प्रावधान हास निधि में स्थानांतरित करने हेतु किया।

निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण + सार्वजनिक खाता) का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत समेकित हास निधि में योगदान कर सकता है।

#### प्रत्याभूति मोचन निधि

भारत के संविधान में प्रावधान है कि कोई राज्य सरकार, भारत क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, समय-समय पर अपनी विधायिका के अधिनियम द्वारा तय कर सकती है और ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, जैसा कि तय किया गया हो।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, झारखण्ड सरकार को निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति मोचन निधि (जी.आर.एफ.) का गठन करना था। यह प्रत्याभूति जोखिम के आधार पर करना था। निधि में योगदान की मात्रा उसी के अनुसार तय की जानी थी। निधि में संचय का उपयोग सरकार द्वारा वैसे संस्थानों, जिनके लिए प्रत्याभूति जारी की गई तथा उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया, के भुगतान के लिए किया जाता है। हालाँकि, निधि का सृजन नहीं किया गया है।


झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2021 तक राज्य द्वारा ` 607.15 करोड़ की गारंटी दी गयी थी।

### 2.5.4 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन राज्य के ऋण के वित्त पोषण हेतु आवश्यक निधि की उगाही, जोखिम तथा मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने, तथा अपने सम्प्रभु ऋण लक्ष्यों के प्रबंधन, जैसा कि सरकार द्वारा किसी स्थापित कानून या अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के द्वारा निर्धारित करे, हेतु रणनीति को स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है।

2016-21 की अवधि में राज्य के कुल ऋण की स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता चार्ट 2.13 में दिखाई गई है। 31 मार्च 2021 को राज्य के दायित्वों एवं सम्पत्तियों का सारांश परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

**चार्ट 2.13: सरकार के कुल ऋण और इसकी स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता**



#### 2.5.4.1 ऋण विवरण: अवयव

राज्य सरकार के कुल ऋण में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि) केंद्र सरकार से ऋण समाहित होता है।

2016-21 के दौरान लोक ऋण और लोक लेखा की प्राप्तियों और देयताओं के पश्चात् धन की उपलब्धता का विवरण तालिका 2.28 में दिया गया है।

तालिका 2.28: घटक वार ऋण प्रवृत्ति

		(' करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>कुल बकाया</b>		<b>66,826.97</b>	<b>77,095.03</b>	<b>83,782.93</b>	<b>94,406.60</b>	<b>1,09,184.99</b>
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	48,682.31	53,799.09	58,436.19	63,545.46	71,956.90
	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,162.29	2,232.85	2,339.08	2,591.52	4,981.45
लोक लेखा का उत्तरदायित्व		15,982.37	21,063.09	23,007.66	28,269.62	32,246.24
बकाया उधार के वृद्धि की दर (प्रतिशत)		18.21	15.37	8.67	12.68	15.65
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)		2,36,250	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079
कुल ऋण/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)		28.29	28.57	27.41	29.40	33.90 <sup>#</sup>
कुल ऋण प्राप्ति		19,192.64	25,205.53	22,223.80	30,980.35	32,562.62
कुल ऋण पुनर्भुगतान		8,896.17	14,937.47	15,535.90	20,356.68	17,784.23
ब्याज भुगतान		4,172.00	4,661.68	4,851.97	5,307.71	5,790.00
उधार राशि की निवल उपलब्धता		6,124.47	5,606.38	1,835.93	5,315.96	8,988.39
ऋण पुनर्भुगतान/ ऋण प्राप्ति (प्रतिशत)		68.09	77.76	91.74	82.84	72.40

<sup>#</sup> यह ऋण ` 1,689 करोड़ जिसे Gol's No. F. No. 40(1) PF-S/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 के तहत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।

भारत सरकार के व्यय विभाग ने निर्णय लिया कि जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के लिए राज्य को ` 1,689 करोड़ का ऋण जो बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्रदान किया गया उसे वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित किसी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जायेगा इसके कारण राज्य का प्रभावी कुल बकाया ` 1,07,495 करोड़ हो जायेगा।




बढ़ता हुआ दायित्व राज्य सरकार के वित्त की धारणीयता के मामले को दर्शाता है। आगे, पूर्ववर्ती बिहार के राजकोषीय दायित्वों को पुनर्गठित बिहार एवं झारखण्ड के बीच बटवारा अब तक नहीं हुआ है।


उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता 2016-21 के दौरान ` 1,836 करोड़ और ` 8,988 करोड़ के बीच थी। हालाँकि, यह उल्लेखनीय रूप से 2019-20 में ` 5,315.96 करोड़ से 2020-21 में ` 8,988 करोड़ बढ़ गया। 2020-21 के दौरान, उपलब्ध ऋण की निधि में मुख्य योगदानकर्ता रक्षित निधि के तहत सरकार द्वारा ली गई बाजार ऋण (` 8,900 करोड़) थी।

वर्ष 2019-20 में लोक ऋण और अन्य दायित्वों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 39.40 प्रतिशत के विरुद्ध 2020-21 के दौरान, लगभग पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि, लोक ऋण का पुनर्भुगतान और ब्याज सहित अन्य देनदारियों में आठ प्रतिशत तक की कमी हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार निधियों की अधिक उपलब्धता रही। हालाँकि, 2020-21 के दौरान मौजूदा देनदारियों के निर्वहन के लिए उधार धनराशि के बड़े हिस्से का उपयोग किया गया था। 2020-21 के दौरान घटक-वार ऋण प्रवृत्ति **चार्ट 2.14** में दिखाया गया है, जबकि, **चार्ट 2.15** राज्य के कुल ऋण में लोक ऋण और लोक लेखे का अवयव का विभाजन दर्शाता है। **चार्ट 2.16** वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की प्राप्ति और पुनर्भुगतान दर्शाता है।


**चार्ट 2.14: 2020-21 के अंत में कुल ऋण का ब्यौरा**



**चार्ट 2.15: समग्र ऋण में लोक ऋण तथा लोक लेखे का घटक**



**चार्ट 2.16: आंतरिक ऋण प्राप्ति के साथ भुगतान**



2016-21 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप का विवरण तालिका 2.29 में दिया गया है।

**तालिका 2.29 राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्त पोषण स्वरूप**

ब्यौरा		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>राजकोषीय घाटा के अवयव</b>						
1	राजकोषीय अधिशेष/घाटा	1,965	1,804	5,521	1,960	-3,114
2	निवल पूँजीगत व्यय	-10,861	-11,928	-10,712	-9,879	-8,466
3	निवल उधार व अग्रिम	-1,296	-1,809	-1,438	-116	-3,331
<b>राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण का स्वरूप</b>						
1	बाजार से उधार	4,725	4,807	4,023	5,656	8,900
2	भारत सरकार से उधार	77	71	106	252	2,390
3	एनएसएसएफ द्वारा जारी विशेष प्रतिभूति	-733	-746	-757	-769	-769

ब्यौरा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
4 वित्तीय संस्थानों से उधार	934	1,054	1,371	222	281
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	-121	66	69	6	-23
6 जमा एवं अग्रिम	5,031	4,722	1,496	1,238	3,215
7 उचत व विविध	-30	-224	127	97	53
8 प्रेषण	-30	93	60	-17	44
9 आरक्षित निधि	383	292	379	4,018	772
10 चिन्हित कोष में निवेश	00	00	00	00	304
11 <b>कुल हानि</b>	<b>10,236</b>	<b>10,135</b>	<b>6,874</b>	<b>10,703</b>	<b>15,167</b>
12 नकद शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)	-43	1,798	-245	-2,668	-256
13 <b>कुल राजकोषीय हानि</b>	<b>10,193</b>	<b>11,933</b>	<b>6,629</b>	<b>8,035</b>	<b>14,911</b>

जैसा उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा (₹ 14,911 करोड़) पूंजीगत व्यय एवं ऋणों और अग्रिमों पर ₹ 11,797 करोड़ (₹ 8,466 करोड़ + ₹ 3,331 करोड़) के व्यय का परिणाम था, जबकि ₹ 3,114 करोड़ पिछले वर्षों में राज्य द्वारा मूलधन के पुनर्भुगतान और उधार का ब्याज पर राजस्व व्यय का परिणाम था।

2020-21 के दौरान ₹ 14,911 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 8,900 करोड़), जमा व अग्रिम (₹ 3,215 करोड़) और भारत सरकार से ऋण (₹ 2,390 करोड़) द्वारा वित्तपोषित था।


## 2.6 ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान अवधि विन्यास ऋण पुनर्भुगतान या ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.30: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सापेक्ष)
0 – 1	2,821.44	4
1 – 3	9,767.95	13
3 – 5	13,437.89	17
5 – 7	10,657.38	14
7 और अधिक	40,254.08	52
<b>कुल</b>	<b>76,938.75</b>	<b>100</b>

**चार्ट 2.17: ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास**



लोक ऋण की परिपक्वता अवधि विन्यास को दर्शाते हुए **तालिका 2.30** और **चार्ट 2.17** से स्पष्ट है कि पुनर्भुगतान का दबाव वर्ष 2022-23 से बढ़ने की संभावना है और झारखण्ड सरकार के स्टॉक की परिपक्वता के कारण वर्ष 2025-26 से शीर्ष पर पहुंचने की संभावना है।

### 2.6.1 राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता के उपरोक्त संदर्भ में, 13वें वित्त आयोग ने ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात के संदर्भ में तथा राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण धारणीयता को परिभाषित किया। 14वें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी) ने केन्द्र और राज्य सरकार के लिए राजकोषीय समेकन हेतु सिफारिश की और स.रा.घ.उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक हेतु सीमाएं प्रदान की। झारखण्ड सरकार अपने एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2007 में अनुमानित स.रा.घ.उ के तीन प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटा न रखने का निर्णय लिया। बजट के साथ प्रस्तुत एफ.आर.बी.एम अधिनियम के मद्देनजर एम.टी.एफ.पी विवरण में प्रत्येक वर्ष स.रा.घ.उ से ऋण स्टॉक के प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया।

ऋण स्टॉक की स्थिति के तुलना में एफ.एफ.सी लक्ष्य और एफ.आर.बी.एम लक्ष्य **तालिका 2.31** में दिए गए हैं।

## तालिका 2.31: ऋण धारणीयता - एफ.आर.बी.एम सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत में)		स.रा.घ.उ. से कुल ऋण (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.एफ.सी लक्ष्य	उपलब्धि
2016-17	2.16	4.31	28.30	28.29	8.63	8.87
2017-18	2.49	4.42	27.90	28.57	8.54	8.84
2018-19	2.61	2.17	27.20	27.41	8.32	8.64
2019-20	2.09	2.50	27.10	29.40	8.08	9.09
2020-21	5.00*	4.70	32.60	33.90#	-	10.31

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, एम.टी.एफ.पी एवं एफ.एफ.सी. प्रतिवेदन

# यह ऋण ` 1,689 करोड़ जिसे Gol's No. F. No. 40(1) PF-S/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 के तहत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।

\* राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2020 के कंडिका 2(1) के आलोक में राजकोषीय घाटा लक्ष्य को 2020-21 के लिए 2 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान लक्ष्य के अन्दर राजकोषीय घाटे को बनाये रखा। जैसाकि तालिका 2.31 से स्पष्ट है, 2016-21 की अवधि के दौरान ऋण से स.रा.घ.उ. अनुपात अपने लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 2020-21 के लिए पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व प्राप्तियों (ब्याज भुगतान का भार) से ब्याज भुगतान के अनुपात के लिए मानक अनुमान प्रदान नहीं किया गया था।

## 2.6.2 ऋण निधि की उपयोगिता

आदर्श रूप से उधार ली गई निधि का उपयोग पूंजी निर्माण और विकास गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग धारणीय नहीं है। ऋण निधि की उपयोगिता तालिका 2.32 में दर्शाया गया है।

## तालिका 2.32: उधार निधियों की उपयोगिता

(` करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	कुल उधार	7,081.42	8,136.85	7,803.43	9,593.12	13,546.58
2	पूर्व उधार का पुनर्भुगतान (मूलधन)	2,077.88	2,949.50	3,060.10	4,231.40	2,744.82
3	निवल पूंजीगत व्यय	10,861.00	11,927.62	10,711.71	9,878.71	8,465.66
4	निवल उधार व अग्रिम	1,296.00	1,809.00	1,438.43	116.24	3,330.99
5	निवल उपलब्ध ऋण से पूरित (1-2-3-4)	-7,153.46	-8,549.27	-7,406.81	-4,633.23	-994.89

स्रोत: वित्त लेखे

2020-21 के दौरान राज्य को पूर्व के ऋणों के लिए ` 2,744.82 करोड़ का भुगतान करना था, जो चालू वर्ष के ऋणों से पूरा कर लिया गया। साथ ही वर्ष के दौरान राजस्व घाटा हुआ था, जिससे राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय और ऋण तथा अग्रिमों के लिए उधार ली गई धन की कम उपलब्धता रही। लोक ऋण से अनाच्छादित पूंजीगत व्यय का भाग की प्रतिपूर्ति लोक लेखे के शेष से किया गया।

कुल उधार ली गई निधि में से 62 प्रतिशत का उपयोग पूंजीगत व्यय पर (` 8,466 करोड़) और 25 प्रतिशत ऋणों और अग्रिमों के भुगतान पर किया गया था। उधार ली गई निधि का शेष 13 प्रतिशत राजस्व व्यय पर अर्थात् उधारों के पुनर्भुगतान के लिए (` 1,749 करोड़) उपयोग किया गया था।

### 2.6.3 प्रत्याभूतियों की यथास्थिति (आकस्मिक देयताएं)

भारत का संविधान यह बताता है कि कोई राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया गया, अपने विधायिका के अधिनियम द्वारा तय किया जाए और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति दे, जैसा कि तय हो, उधार ले सकता है। प्रत्याभूति लेनदार द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर प्रत्याभूति आकस्मिक दायित्व होते हैं।

झारखण्ड सरकार ने इस संबंध में न तो प्रत्याभूति मोचन निधि बनाई है और न ही कोई नीति बनाई है। हालांकि सरकार ने झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में दिसम्बर 2018 में ₹ 450 करोड़ राशि का लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) दिया था। पुनः फरवरी 2013 में जे.एस.ई.बी. के पक्ष में दिया गया ₹ 157.15 करोड़ का एल.ओ.सी. जनवरी 2014 में जे.एस.ई.बी. के विखंडित होने के बाद भी सरकार के लेखाओं में समाशोधन हेतु लंबित था।

तालिका 2.33: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ब्याज सहित प्रत्याभूति की लंबित राशि	157.15	157.15	607.15	607.15	607.15

### 2.7 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकार को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू.एम.ए.)/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस.डब्ल्यू.एम.ए.)/ ओवर ड्राफ्ट (ओ.डी.) के द्वारा कमी को पूरा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को देय साधारण डब्ल्यू.एम.ए की सीमा को संशोधित किया गया (1 अप्रैल 2020 से लागू ₹ 936.00 करोड़, जो बाद में बढ़कर 17 अप्रैल 2020 से लागू ₹ 1,152.00 करोड़ हो गया)।

हालांकि वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरीके और साधन से अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट प्राप्त नहीं किए गए थे।

राज्य सरकार भारत की अल्पकालीन और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों और कोष विपत्रों में अपने नकद अधिशेष का निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

**तालिका 2.34** 2019-20 और 2020-21 के दौरान सामान्य नकद शेष और इसमें निवेश का तुलनात्मक विवरण दिखाता है और **तालिका 2.35**, 2016-21 की अवधि के दौरान नकद शेष के निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673) की स्थिति को दिखाता है।

तालिका 2.34: नकद शेष और इसके प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2021 को अन्त शेष
<b>अ. सामान्य नकद शेष</b>		
कोषागार में नकद	0	0
रिजर्व बैंक में जमा	-54.14	160.55
अन्य बैंक में जमा	0	0
प्रेषण-स्थानीय	0	0
<b>उप योग</b>	<b>-54.14</b>	<b>160.55</b>
रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	3,070.62	2,811.20
<b>कुल (अ)</b>	<b>3,016.48</b>	<b>2,971.75</b>
<b>ब. अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश</b>		

विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण विभागीय अधिकारी, वन विभागीय अधिकारी	46.84	44.54
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थाई अग्रिम चिन्हित निधि में निवेश	0.16	0.16
<b>कुल (ब)</b>	<b>447.00</b>	<b>748.57</b>
<b>कुल (अ + ब)</b>	<b>3463.48</b>	<b>3,720.32</b>
<b>ब्याज प्राप्ति</b>	<b>147.42</b>	<b>58.59</b>

स्रोत : वित्त लेखे

31 मार्च 2021 तक नकद शेष निवेश लेखा में शेष राशि ` 2,811.20 करोड़ थी और 2020-21 के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज ` 58.59 करोड़ था।

2020-21 के दौरान, राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि की कम प्राप्ति के कारण, 2019-20 के दौरान, राज्य के नकद शेष निवेश में कमी आयी, राज्य सरकार को राज्य के हिस्से का 90 प्रतिशत, जो तदर्थ प्राधिकरण के पास है, ` 220.13 करोड़ ब्याज सहित केन्द्र सरकार से ` 4,158.02 करोड़ प्राप्त हुए और इसे झारखण्ड क्षतिपूरक वनीकरण निधि (झा.क्ष.व.नि.) में जमा किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य ने एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित निधियों से ` 400 करोड़ और 2020-21 के दौरान हास निधि में से ` 303.87 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश किया था।

**तालिका 2.35: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)**


(` करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)	ब्याज अर्जित
2016-17	2,102.04	1,439.09	-662.95	117.01
2017-18	1,439.09	354.56	-1,084.53	78.56
2018-19	354.56	167.90	-186.66	31.43
2019-20	167.90	3,070.62	2,902.72	147.42
2020-21	3,070.62	2,811.20	-259.42	58.59

खातों में परिलक्षित आंकड़े { ` 160.55 करोड़ (डेबिट)} तथा आर.बी.आई. द्वारा सूचित की गई { ` 7.53 करोड़ (डेबिट)} के बीच 168.09 करोड़ (निवल डेबिट) का अंतर था। रिज़र्व बैंक जमा शेष में इस अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आर.बी.आई, राँची के साथ समाशोधन एवं आवश्यक सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

**चार्ट 2.18** पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों (निवल) और नकदी शेष के तुलनात्मक रूझान को दर्शाता है

**चार्ट 2.18: बाजार ऋण (निवल) एवं नकदी शेष की प्रवृत्ति**



राज्य सरकार द्वारा प्रचुर नगद शेष होने के बावजूद तथा इसके उत्पादक इस्तेमाल के बिना सिर्फ नगद शेष को बढ़ाने हेतु बाजार ऋण लेना अपेक्षित नहीं है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने ` 8,900 करोड़ की बाजार ऋण की उगाही की, जबकि उसी समय नगद शेष ` 3,463 करोड़ से बढ़कर ` 3,720 करोड़ तक प्रमुखता से बढ़ा, जो यह दर्शाता है कि उस स्तर तक ऋण से बचा जा सकता था।

## 2.8 निष्कर्ष

सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आँकने के लिए घाटे का संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन प्रमुख मापदण्ड हैं।

राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में दी गई समय-सीमा से काफी पहले अपने राजस्व घाटे को शून्य तक कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। राज्य में पिछले पाँच वर्षों में राजस्व अधिशेष था, सिवाय 2020-21 को छोड़कर जब ` 3,114 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज किया गया था। इसी तरह, राज्य का राजकोषीय घाटा भी निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था।

2020-21 के दौरान राज्य का राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.3 प्रतिशत था जिसमें से 42.98 प्रतिशत वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर उपयोग किया गया था। वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन ने 2020-21 में राजस्व प्राप्तियों का 45.32 प्रतिशत उपभोग किया जबकि, राजस्व व्यय 2019-20 में 14.86 प्रतिशत से 2020-21 में 11.91 प्रतिशत की कमी हुई। पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं पर 38 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं पर 14 प्रतिशत कम व्यय के कारण पूँजीगत व्यय में ` 1,413 करोड़ की कमी हुई।

कुल व्यय में, सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2016-20 से लगातार बढ़ा है, जबकि, 2020-21 के दौरान यह मामूली रूप से (29 प्रतिशत) घटा। 2019-20 और 2020-21 के दौरान सामाजिक सेवाओं (35 प्रतिशत) और आर्थिक सेवाओं (36 प्रतिशत) पर व्यय का हिस्सा लगभग उसी तरह रहा। 2020-21 के दौरान कुल उधार ली गई निधि में से राज्य ने 62 प्रतिशत पूँजीगत व्यय (` 8,466 करोड़) पर और ऋणों और अग्रिमों के भुगतान पर 25 प्रतिशत उपयोग किया। उधार ली गई निधि का शेष 13 प्रतिशत उधारों के पुनर्भुगतान (` 1,749 करोड़) पर उपयोग किया गया था।

31 मार्च 2021 को समाप्त राज्य के वार्षिक लेखे के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ` 1,111.65 करोड़ का निवेश (सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं) में किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 2020-21 के दौरान 'नगण्य' था, जबकि सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान उधार पर 6.13 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण की एक बड़ी राशि (` 24,177 करोड़) मार्च, 2021 के अंत तक बकाया था।

कुल मिलाकर राजकोषीय देनदारियाँ (कुल ऋण) 2019-20 में ` 94,407 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ` 1,09,185 करोड़ हो गई। राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 32.60 प्रतिशत के विरुद्ध 33.90 प्रतिशत था। बढ़ते दायित्वों राज्य सरकार के लिए वित्त की वहनीयता का मुद्दा उठाया। बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन अब तक नहीं किया गया है।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से इसे कोई ब्याज नहीं दिया, जो 2011-21 की अवधि के लिए लागू दर पर ` 797.98 करोड़ होता है। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और राजकोषीय



दायित्व पर प्रभाव पड़ा हालाँकि सरकार ने वर्ष के दौरान हास निधि में ` 303.87 करोड़ का अन्तरण किया।

## 2.9 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार को अपने निवेश और विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋणों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश और ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकारी उधार लागत से मेल खा सके। अन्यथा, निवेश में रिटर्न की नगन्य दर के साथ बढ़ती राजकोषीय देनदारियाँ अनुपयुक्त ऋण की स्थिति को जन्म दे सकती है।
- मध्यावधि समीक्षा के बाद एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और एम.टी.एफ.पी. विवरणियों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य को अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने होंगे।